न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 39/13
(जीसीएमएस संख्या 2013/00211)

निर्णय दिनांकः– 21/12/2021

1. रिछपाल
2. जयपाल सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह
4. लालसिंह
   पिसरान चैनसिंह जाति राजपूत निवासी नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. रेवंतसिंह पुत्र खुमाण सिंह
6. लाधुसिंह पुत्र मदन सिंह
7. सवाई सिंह पुत्र मदन सिंह
8. नानू सिंह पुत्र मदन सिंह
   जाति राजपूत निवासी नोखा गावं तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांटस्

–बनाम–

1. भीखाराम पुत्र भोमाराम
2. सूरजाराम पुत्र भोमाराम

3/1. गोमती बेवा किस्तुराराम
3/2. रामलाल पुत्र किस्तुराराम
3/3. जेठाराम पुत्र किस्तुराराम
3/4. चन्नीलाल पुत्र किस्तुराराम
3/5. ओमप्रकाश पुत्र किस्तुराराम
3/6. गोपाराम पुत्र किस्तुराराम
3/7. कमा पुत्री किस्तुराराम
3/8. धन्नी पुत्री किस्तुराराम
3/9. सायरी पुत्री किस्तुराराम
3/10. सरोज पुत्री किस्तुराराम

4. कुम्भाराम पुत्र खेमाराम
5. फूसराम पुत्र आसुराम
6. जेठाराम पुत्र आसुराम
7. शिवराम पुत्र आसुराम
8. सोहनराम पुत्र आसुराम
9. चुन्नी पुत्री भोमाराम
10. गुमानी पुत्री भोमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:40:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

11. प्रहलाद पुत्र गोमाराम
12. लालुराम पुत्र गोमाराम
13. अमीराराम पुत्र हरजीराम
    जाति जाट निवासीगण ग्राम नोखा गावं तहसील नोखा जिला बीकानेर।
14. गोपाल सिंह पुत्र भंवरसिंह
15. महावीर सिंह पुत्र भंवरसिंह
16. लिछमण पुत्र जीवराज सिंह
17. शिवसिंह पुत्र जीवराज सिंह
18. किशोर सिंह पुत्र जीवराज सिंह
19. डालूसिंह पुत्र जीवराज सिंह
20. मालू सिंह पुत्र जीवराज सिंह
21. भानी सिंह पुत्र जीवराज सिंह
    जाति राजपूत निवासीगण नोखा गांव तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24–01–2013
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–
1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 6
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 24–01–2013 जिसके द्वारा अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नोखा के खेत खसरा नम्बर 603/580 व 604/581 अपीलांट्स की खातेदारी भूमि रही है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि की धोषणा हेतु एक वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramniwas Jat Chauhan
Date: 2022.05.05 18:40:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर डिक्री पारित कर दी गई। उक्त एकतरफा डिक्री को निरस्त करवाने व अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने हेतु अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का उक्त प्रार्थना पत्र उच्चतर न्यायालय के निर्देशों के विपरीत जाकर खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में अदालत मातहत एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक 31—12—2003 व 13—07—2005 को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निस्तारण हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा माननीय राजस्व मण्डल,अजमेर के निर्देशों की पालना नहीं करते हुए प्रकरण के गुणावगुण के बिन्दु पर अपना निर्णय पारित करने के बजाय मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज करते हुए अपीलांट्स के विधिक् अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् सभी पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण गुणावगुण पर बहस सुनने के पश्चात् ही तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किये बिना पूर्व में किये गये निर्णयों का सहारा लेकर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कोई पक्षकार किसी निर्णय/आदेश के विरूद्व उपलब्ध अपील अथवा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के दोनों अवसरों को इस्तेमाल कर सकता है, परन्तु यदि अपील निरस्त कर दी जाती है तो आदेश 9 नियम 13 सीपीसी की कार्यवाही मेन्टेनेबल नहीं है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही व्याख्या नहीं है। विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि [illegible] रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व उसे सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अदालत मातहत [illegible] कानून के इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए [illegible] अपील पारित करने में कानूनी भूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:40:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कारित की गई है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2000 पार्ट I पेज 125, डीएनजे एससी 2002 पेज 69 व डीएनजे एससी पेज 228 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नोखा के खेत खसरा नम्बर नम्बर 603/580 व 604/581के बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगणों को नियमानुसार एवं विधिक प्रकिया के तहत तलब करने की सम्पर्ण कार्यवाही करने के उपरान्त भी उनके अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आदेश दिनांक 26–03–2003 पारित किये जाने पर <u>अपीलांट्स/प्रतिवादीगण</u> द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20–12–2003 को खारिज कर दी गई। उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व <u>अपीलांट्स/प्रतिवादीगण</u> द्वारा किसी प्रकार की कोई निगरानी उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2003 अंतिम आदेश हो चुका है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट्स जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आते हुए मात्र प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बा करने की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही कर रहे है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के मूल तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में तय हो [illegible] तथा इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का प्रार्थना [illegible] अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किया [illegible] स्थिति में जब वादग्रस्त भूमि के अधिकारों को लेकर घोषणा हो चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जा चुका है, तब ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:40:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्थिति में मात्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलंट्स अपने अधिकारों की धोषणा नहीं करवा सकते। आदेश 9 नियम 13 के तहत मात्र तामील के बिन्दु का अभिनिर्धारण किया जा सकता है। प्रकरण में जब वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधिकारों की धोषणा करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो चुका है तो ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र के तहत चाराजोई करना एब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ की श्रेणी में आता है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि प्रकरण में अपीलांट्स का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेशों के अनुसरण में निर्णय पारित नहीं किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—01—2013 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से 07—07—20101 को प्राप्त होने पर पेशी में लिया गया तथा दर्ज रजिस्टर किया गया। इसप्रकार यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की यह आपत्ति की माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्देशों की पालना नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के आदेश जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2002 पार्ट II पेज 95, एससीसी डीजे पेज 201व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17—12—[illegible] की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:40:48 IST
Reason: Self Attested

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत करते हुए एकतरफा तौर पर जारी डिक्री को निरस्त कराने की मांग किये जाने पर अदालत मातहत अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किये जाने से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आदेश जैर अपील को निरस्त करवाने तथा प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण की इस्तदुआ की गई है।

इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य व विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि सर्वप्रथम अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26–03–2003 को मूल दावे का निर्णय पारित किया गया था जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने पर उक्त अपील दिनांक 20–12–2003 को खारिज की गई थी। उक्त आदेश की निगरानी उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य को आधार बनाते हुए अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपने विवेचन में मूल दावे में तामील हेतु अपनाई गई तमाम प्रकिया का उल्लेख किया गया तथा कालान्तर में अपीलांट्स द्वारा प्राप्त किये गये उपचारों का हवाला निर्णय के अंतिम पैरा में अभिलिखित किया गया है।

इस संबंध में यहॉ यह उल्लेख करना अपरिहार्य होगा कि अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय के पृष्ट संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में यह अभिलिखित किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 31–12–2003 को पारित आदेश के विरूद्व <u>प्राथीगण/अपीलांट्स</u> द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 01/2004 पेश की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त अपील दिनांक 13–07–2005 को खारिज कर दी गई। उक्त खारिजी आदेशों दिनांक 31–12–2003 व 13–07–2005 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 24–05–2010 के द्वारा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 13:40:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय के आदेश दिनांक 31–12–2003 एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–07–2005 को अपास्त कर प्रकरण पुनः इस न्यायालय को इन आदेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि यह न्यायालय प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर विधि अनुसार कार्यवाही कर गुणावगुण पर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें।

प्रकरण में जब राजस्व की सर्वोच्य अदालत द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका था व अदालत मातहत द्वारा स्वमेव अपने निर्णय में अभिलिखित किया गया है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24–05–2010 में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया था कि वे दोनों पक्षों को गुणावगुण पर सुनकर पुनः निर्णय पारित करें, तब ऐसी स्थिति में मात्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जाना स्पष्ट रूप उच्चतर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की परिभाषा में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफ तो उच्चतर न्यायालय के निर्देशों का हवाला/पालना में पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाता है वहीं दूसरी तरफ उच्चतर न्यायालय के उसी आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना के विपरीत मात्र सरसरी तौर पर गुणावगुण पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–01–2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–05–2010 की पालना में सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 21/12/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:40:48 IST
Reason: SelfAttested

21/12/2021

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर